प्रेस विज्ञप्ति

1. संसद का शीतकालीन सत्र, 2024, जो सोमवार, 25 नवंबर, 2024 से शुरू हुआ था, शुक्रवार, 20 दिसंबर, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस सत्र में 26 दिनों की अवधि के दौरान लोक सभा की 20 बैठकें और राज्य सभा की 19 बैठकें हुईं।

2. सत्र के दौरान लोक सभा में 05 विधेयक पुर:स्थापित किए गए और 04 विधेयक लोक सभा द्वारा पारित किए गए तथा 03 विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित किए गए। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा एक विधेयक अर्थात "**भारतीय वायुयान विधेयक, 2024**" पारित किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य समय-समय पर वायुयान अधिनियम, 1934 में हुए संशोधनों के कारण हुए अंत:स्थापन/चूक/विलोपन से उत्पन्न हुई अस्पष्टता को दूर करने के लिए वायुयान अधिनियम को पुनः अधिनियमित करना है।

3. हमारे देश ने 26 नवंबर 2024 को अपने संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ऐतिहासिक उत्सव मनाया। उस दिन वर्ष भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत चार थीमों के तहत की गई: **प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण** और **इसकी महिमा का उत्सव मनाना**। इस अवसर पर 26 नवंबर, 2024 को संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति द्वारा माननीय उप-राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय लोक सभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रियों, विपक्ष के नेताओं, दोनों सदनों के सदस्यों और अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में एक स्मारक सिक्के और डाक टिकट के विमोचन के अतिरिक्त "भारत के संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा" और "भारत के संविधान के निर्माण की एक झलक" नामक दो पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। दुनिया भर में सभी भारतीय माननीय राष्ट्रपति के साथ प्रस्तावना पढ़ने में शामिल हुए।

4. संविधान को अंगीकार करने की 75वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले समारोह के भाग के रूप में, 13 और 14 दिसंबर को लोक सभा में तथा 16 और 17 दिसंबर, 2024 को राज्य सभा में "भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा" पर विशेष चर्चा आयोजित की गई। लोक सभा में इस पर **15 घंटे 43 मिनट** तक चर्चा हुई जिसमें 62 सदस्यों ने भाग लिया और प्रधानमंत्री ने इसका उत्तर दिया। राज्य सभा में इस पर कुल **17 घंटे 41 मिनट** तक चर्चा हुई जिसमें 80 सदस्यों ने भाग लिया और गृह मंत्री ने इसका उत्तर दिया।

5. लोक सभा में वर्ष 2024-25 की अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच पर चर्चा और पूर्ण मतदान हुआ तथा दिनांक 17.12.2024 को संबंधित विनियोग विधेयक पुर:स्थापित किया गया और लगभग 07 घंटे 21 मिनट की चर्चा के बाद पारित किया गया।

6. 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के दृष्टिकोण के तहत लोक सभा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के एक साथ चुनाव की व्यवस्था को लागू करने के लिए सत्र के दौरान दो ऐतिहासिक विधेयक अर्थात् (i) संविधान (एक सौ उनतीसवां) संशोधन विधेयक, 2024 और (ii) संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024, 17 दिसंबर, 2024 को लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए और 20 दिसंबर, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए।

7. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयकों, लोक सभा/राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

8. पूरे सत्र के दौरान दोनों सदनों में लगातार व्यवधान देखा गया और इस प्रकार, लोक सभा की उत्पादकता लगभग 54.5% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 40% रही।

***

अनुबंध

18वीं लोक सभा के तीसरे सत्र और राज्य सभा के 266वें सत्र के दौरान निष्पादित विधायी कार्य,

I. लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024
2. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2024
3. संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024
4. संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024
5. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024

II. संसद के सदनों की संयुक्त समिति को भेजे गए विधेयक

1. संविधान (एक सौ उनतीसवां) संशोधन विधेयक, 2024
2. संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024

III. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
2. रेल (संशोधन) विधेयक, 2024
3. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
4. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024

IV. राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
2. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
3. बॉयलर्स विधेयक, 2024

V. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक

1. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024.

#####